राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 604 / 2025

विजय कुमार मीणा —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं वानिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, कृषि आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, कृषि (प्रशासन), कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
4. कपिल महावर, कृषि पर्यवेक्षक, मुख्यालय देलवास सहायक निदेशक, कृषि विस्तार्, चितौड़गढ़।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.03.2025
आदेश की दिनांक : 27.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री हिमेश विश्नोई, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4 ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में कृषि पर्यवेक्षक के पद पर मुख्यालय बोरानाकलां सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) सांगोद में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदे" । दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन से मुख्यालय देवास सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), चित्तौडगढ में दूरस्थ स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 कपिल महावर को समंजन करने के उद्देश्य से किया गया है।

अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी की माता राम रेखा बाई केंसर की गम्भीर बीमारी से ग्रसित है जिसकी देखभाल की जिम्मेवारी अपीलार्थी पर ही है (अनुलग्नक–2)। उसका आगे कथन है कि अपीलार्थी की पत्नी व्याख्याता के पद पर दूसरे शहर कोटा में

कार्यरत है। राज्य सरकार की सामान्य नीति रही है कि यदि पत्नी दोनों राजकीय सेवा में हो तो उन्हें यथा संभव निकटतम स्थान पर पदस्थापित रखा जावे।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा अ पीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही कार्य करने दिया जावे।

हमने उभयपक्ष की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। अपीलार्थी की माता जी गम्भर बीमारी की स्थिति के दृष्टिगत प्रकरण में हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत नियमानुसार नियत समयावधि में अभ्यावेदन का निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावे जहां आलोच्य आदेश जारी किए जाने से पूर्व कार्यरत था। साथ ही निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य